संख्या 2301 /79-5-2006-43/2006

प्रेषक,

जे0एस0दीपक
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

2. शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश, निशातगंज
लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग--5 लखनऊ दिनांकः 5 सितम्बर, 2006

विषयः उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू की प्रवीणता रखने वाले 5000 प्रशिक्षणार्थियों का चयन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में उर्दू में प्रवीणता रखने वाले सहायक अध्यापकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत सहायक अध्यापक के बड़ी संख्या में रिक्त पदों में से 5000 पदों को व्यावर्तित करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त पदों हेतु स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को द्विवर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू के विशेष प्रशिक्षण के आयोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्नुसार जनपदवार रिक्तियों/पदों का विवरण/सूची संलग्न है।

2-- उपरोक्तानुसार अभ्यर्थियों के चयन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी--

1-- चयन समिति का गठन--

प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदवार चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें संबधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होगें तथा डायट के प्राचार्य, सदस्य सचिव होगें। जनपद स्तरीय समिति द्वारा चयन से संबधित समस्त कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

2-- शैक्षिक अर्हता--

जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा जनपद के दो प्रमुख समाचार--पत्रों में व्यापक प्रचार--प्रसार के माध्यम से भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन--पत्र मांगे जायेगें जिन्होंने--

(अ) हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक की परीक्षाओं में से कोई दो परीक्षाएं उर्दू विषय के साथ उत्तीर्ण की गई हो, अथवा,

(ब) ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु अर्ह होंगे जिन्होंने हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही पृथक से उर्दू अतिरिक्त विषय से उक्त में से दो परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो. अथवा,

(स) उर्दू प्रवीणता के संबध में ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें जिन्होंने हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक के साथ पृथक से राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित उर्दू प्रवीणता से संबंधित कोई दो परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो (उदाहरणार्थ—जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब, अदीब—ए—माहिर एवं अदीब—ए—कामिल, जिसकी क्रमशः हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक स्तर के एक विषय उर्दू से समकक्षता मान्य है)।

3— **अधिवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता—**

शासनादेश संख्या—750 / 15—(2) / 98—1499(77) / 97 टी0सी0,दिनांक 19 मई 1998 के प्राविधानानुसार ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होगें जो उसी जनपद के निवासी हो, जहां प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर रहे हो। जनपद का अधिवास प्रमाण पत्र चयन होने के उपरान्त प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

4— **निर्धारित शुल्क—**

बी0टी0सी0 उर्दू के द्विवर्षीय विशेष प्रशिक्षण हेतु आवेदन शुल्क रू0 50 / — होगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए यह शुल्क रू0 20 / — होगा। उक्त शुल्क संबधित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय होगा।

5— **अभ्यर्थियों से आमंत्रित आवेदन—**

अभ्यर्थियो से आमंत्रित आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप मे ही समस्त आवश्यक सूचनाएं मांगी जायेगी। उक्त प्रारूप में अभ्यर्थियों की ओर से अंकित विवरण की सत्यता के संबध में यह घोषणा शपथ पत्र के रूप में प्राप्त किया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी की ओर से यह अन्डरटेकिंग दी जायेगी, कि यदि अंकित विवरण असत्य पाये जायेंगे तो न केवल उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, अपितु उसके विरुद्व वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है ।

आवेदनकर्ताओं को यह भी घोषणा आवेदन पत्र में करनी होगी कि जो विवरण उन्होंने आवेदन पत्र में अंकित किये है उनसे संबधित प्रमाण—पत्र / अंक पत्र आवेदन करने की तिथि के पूर्व उनके पास उपलब्ध है। आवेदन—पत्र घोषित करने के दिनांक के बाद के निर्गत प्रमाण—पत्र / अंक पत्र मान्य न होंगे।

6— **निर्धारित आयु—**

बी0टी0सी0 उर्दू के द्विवर्षीय विशेष प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई 2006, को न्यूनतम 18 वर्ष की होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों एवं भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा विकलागों की स्थिति में आयु सीमा में नियमानुसार शिथिलता प्रदान की जाएगी। अक्षम / विकलांग अभ्यर्थियों के बारे में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष शिथिलनीय होगी।

(2) प्रशिक्षणार्थियों/अभ्यर्थियों के हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर जनपद स्तरीय श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

(3) चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची निम्नानुसार तैयार की जायेगी —

अ— गुणांको का निर्धारण हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर किया जाय।

ब— अदीब, अदीब—ए—माहिर एवं अदीब—ए—कामिल उपाधि को कमशः हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक में एक विषय उर्दू के समकक्ष मानते हुए इन उपाधियों को केवल प्रवीणता के रूप में ग्राहय किया जाय।

स— ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक की अर्हता प्राप्त न की हो और इनके स्थान पर केवल अदीब, अदीब—ए—माहिर एवं अदीब—ए—कामिल की उपाधि प्राप्त की हो, उनके अभ्यर्थन पर विचार न किया जाए।

द— यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही एक विषय उर्दू से हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है अथवा इनके स्थान पर अदीब, अदीब—ए—माहिर एवं अदीब—ए—कामिल की उपाधि प्राप्त की गयी है, तो ऐसे अभ्यर्थी के मामले में उर्दू विषय के प्राप्तांक अथवा अदीब, अदीब—ए—माहिर एवं अदीब—ए—कामिल की परीक्षा के प्राप्तांकों का गुणांको के निर्धारण में उपयोग नहीं किया जायेगा, अपितु इन अर्हताओं की ग्राहयता केवल प्रवीणता के रूप में होगी।

(4) उपरोक्तानुसार अनन्तिम रूप से तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों की संबधित संस्था से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त अन्तिम चयनित सूची जारी की जाएगी।

(5) अभ्यर्थियों द्वारा द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त इनकी परीक्षा आयोजित की जायेगी तथा परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जायेगा।

8— आरक्षण—

अभ्यर्थियों के चयन में चयन की तिथि को राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जातियों/वर्गों को अनुमन्य आरक्षण देय होगा यथा—

(अ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण हेतु प्रदेश शासन की नीति के अनुसार व्यवस्था की जायेगी।

(ब) विकलागों का 3 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों का 2 प्रतिशत तथा भूतपूर्व सैनिकों का 5 प्रतिशत कोटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 1999 के अनुसार होगा। इन

आरक्षित रिक्तियों के प्रति चयनित अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिससे वे संबधित है ।

(9) मानदेय—

प्रदेश शासन द्वारा निर्दिष्ट के प्रति बी0टी0सी0 उर्दू के द्विवर्षीय प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में रू0 2500/— की छात्रवृत्ति (स्टाईपेण्ड) प्रतिमाह देय होगी।

निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ द्वारा (1) विज्ञापन का प्रारूप (2) चयन के संबध में समय—सारणी (3) चेक—लिस्ट (4) अभ्यर्थियों से मांगे जाने वाले आवेदन पत्र की प्रारूप आदि का निर्धारण करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अपने स्तर से सभी संबधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही **30 नवम्बर, 2006** तक सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत् कराया जाये।

5/9/06

(जे0एस0दीपक)
सचिव।

संख्या—2301 (1)/79—5—2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उ0प्र0।
4. निदेशक,उर्दू,उ0प्र0 लखनऊ।
5. सचिव,उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।
6. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
8. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
9. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान,उ0प्र0।
10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
11. रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें उ0प्र0,इलाहाबाद।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—11/नियोजन अनुभाग—4

(कामरान रिजवी)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या– 2301 /79–5–2006–43/2006, दिनांक 5 सितम्बर 2006 का संलग्नक।

मण्डल का नाम	जनपद का नाम	जनपदवार प्रस्तावित पद	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	जनपदवार प्रस्तावित पद
मेरठ	मेरठ	100	मिर्जापुर	मिर्जापुर	20
	बागपत	50		सोनभद्र	20
	बुलन्दशहर	170		संतरविदासनगर	20
	गाजियाबाद	50		योग	60
	गौतमबुद्धनगर	20	गोरखपुर	गोरखपुर	170
	योग	390		देवरिया	70
बरेली	बरेली	170		कुशीनगर	50
	बदायूं	100		महाराजगंज	20
	पीलीभीत	100		योग	310
	शाहजहांपुर	170	झांसी	झांसी	20
	योग	540		ललितपुर	20
वाराणसी	वाराणसी	70		जालौन	20
	चन्दौली	20		हमीरपुर	20
	गाजीपुर	70		योग	80
	जौनपुर	70	चित्रकूट	चित्रकूट	20
	योग	230		बांदा	20
लखनऊ	लखनऊ	170		महोबा	20
	हरदोई	50		योग	60
	सीतापुर	100	देवीपाटन	गोण्डा	70
	रायबरेली	50		बलरामपुर	70
	उन्नाव	50		बहराईच	160
	लखीमपुर	70		श्रावस्ती	20
	योग	490		योग	320
बस्ती	बस्ती	50	आजमगढ़	आजमगढ़	170
	संतकबीरनगर	50		बलिया	50
	सिद्धार्थनगर	50		मऊ	50
	योग	150		योग	270

मण्डल का नाम	जनपद का नाम	जनपदवार प्रस्तावित पद	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	जनपदवार प्रस्तावित पद
आगरा	आगरा	50	फैजाबाद	फैजाबाद	50
	फिरोजाबाद	50		बाराबंकी	100
	मैनपुरी	20		सुल्तानपुर	100
	अलीगढ़	100		अम्बेडकरनगर	100
	एटा	20		योग	350
	हाथरस	20	सहारनपुर	सहारनपुर	100
	मथुरा	20		मुज्जफरनगर	70
	योग	280		योग	170
इलाहाबाद	इलाहाबाद	170	कानपुर	कानपुर नगर	170
	फतेहपुर	50		कानपुर देहात	50
	प्रतापगढ़	20		इटावा	50
	कौशाम्बी	20		औरैया	20
	योग	260		फर्रुखाबाद	20
मुरादाबाद	मुरादाबाद	170		कनौज	50
	रामपुर	170		योग	360
	बिजनौर	170			
	ज्योतिबाफूलेनगर	170			
	योग	680			

(कामरान रिजवी)
विशेष सचिव

[illegible]

(xiv) [illegible] आवेदन पत्र, आवेदन [illegible]

आवेदन-पत्र का प्रारूप निम्न है। (आवेदन पत्र का प्रारूप www.dietjmp.org पर भी उपलब्ध है)

द्विवर्षीय डी.टी.सी. उर्दू विशेष प्रशिक्षण हेतु आवेदन-पत्र

([illegible])

1- अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम (हिन्दी में)..................
अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम..................
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)

2- पिता का नाम (हिन्दी में)..................

3- जन्मतिथि (मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार)..................

4- [illegible]

5- [illegible]

6- [illegible]

7- [illegible]

8- [illegible]

9- [illegible]

10- [illegible]

11- [illegible]

12- [illegible]

13- बैंक ड्राफ्ट का विवरण-

बैंक ड्राफ्ट का नाम | बैंक ड्राफ्ट के जमा तिथि | बैंक ड्राफ्ट की राशि

घोषणा

मैं [illegible] घोषणा करता/करती हूँ कि [illegible]

दिनांक-

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम..................

प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

[illegible]

दैनिक जागरण रविवार 10 सितम्बर 2006